

कार्यालय निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय - आदेश
 =====

अंग्रेजी माध्यम एवं एन०सी०ई०आर०टी० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत संघालित
 लाला कमला पत सिंघानिया स्कूल, गोटन, जिला नागौर को उच्च प्राथमिक स्तर
 की स्थाई मान्यता प्रदान की जाती है। विभागीय नियमों की पालना न करने
 पर स्थाई मान्यता रद्द की जा सकती है।

ह/—

१ तल्लि ने० पंवार १
 निदेशक
 प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा
 राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:— शिधिरा/प्राथ/सी/19614/181/33-39

दिनांक 27/1/89

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है
- १११ उपनिदेशक, पुष्प, शिक्षा विभाग जोधपुर।
- १२१ जिला शिक्षा अधिकारी, धन संस्थान, नागौर।
- १३१ सचिव, लाला कमला पत सिंघानिया उच्च प्राथमिक विद्यालय, शिक्षा केन्द्र
 गोटन, जिला नागौर।
- १४१ अनुभाग अधिकारी, अनुशन अनुभाग शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर।
- १५१ रक्षित पंक्ति।

संयुक्त निदेशक, प्राथमिक
 प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा
 राजस्थान, बीकानेर

प्ररूप-02

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा नागौर

क्रमांक -- शिविना/प्रार./सा-1/मान्यता नवीनीकरण/आरटीई/2015-2016/683 दिनांक-- 13-7-16
 संस्था का नाम माला कमला प्रत सिद्यानिपा एज्यूकेशन सेन्टर

पंचायत समिति मोहन मोहन

विषय :- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 क उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण --प्रत्र।

महोदय / महोदया,

आपके द्वारा दिनांक 31.12.15 से पूर्व आवेदन और इस संबन्ध में विद्यालय के साथ पर्याप्तगती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से माला कमला प्रत सिद्यानिपा एज्यूकेशन सेन्टर पंचायत समिति मोहन मोहन जिला नागौर को वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 01 से 08 तक के लिए अनन्तिम मान्यता (माध्यम अज्ञेय) प्रदान की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने क अध्याधीन है:-

1. संस्था सत्र 2015-16 में कक्षा 01 तक संचालित करेगी।
2. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-08 के पर्याप्त मान्यता/संबन्ध करण के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
3. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 (उपबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
4. विद्यालय कक्षा-1 में (या यथास्थिति, गर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गा और सुविधा-विहीन समूह के बालकों का प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
5. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा(2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
6. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता/पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
7. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा।

विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-

1. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में कक्षा प्रवेश किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्काशित नहीं किया जायेगा।
 2. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन से अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
 3. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई परीक्षा अस्वीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 4. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
 5. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशुल्कता प्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को प्रवेश प्रदान करेगा।
 6. अध्यापकों की गती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन तथा अधीनस्थित न्यूनतम अर्हताओं के तहत ही कार्य है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पाच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगा।
 7. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
 8. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों को नियोजित नहीं करेंगे।
 9. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यर्था के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
 10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा।
- अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है।

G.M.

- अ- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
 ब- कुल निर्मित क्षेत्र
 स- किंडा स्थल का क्षेत्रफल
 द-कक्षाओं की संख्या
 य- प्राध्यापक-सह-कार्यालय- राह-भांडागार के लिए कक्ष
 र- बालक और बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक शौचालय
 ल- पेयजल सुविधा
 व- गिड-डे-गील पकाने के लिए रसोई
 ह- वाधारहित पहुंच
 स- अध्यापन पठन सामग्री/किया खेल-कूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता

10. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षएं नहीं बनाई जायेगी।
11. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाओं यथा कभी-न स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए ही किया जायेगा।
12. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकृत नियम 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा तत्समय प्रयुक्त किसी विधि के अधीन गठित लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
13. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के स्वाम्य के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
14. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउण्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए परंतु लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भिजवायी जानी चाहिए।
15. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक 1622 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
16. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित सरकार/स्थानीय अधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है। जो मान्यता सत्यता प्रमाणों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कार्ययों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
17. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो तो को सुनिश्चित किया जावे।
18. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्तें।

भवदीय

जिला शिक्षा अधिकारी
 प्रारम्भिक, नागौर
 दिनांक: ~~31-04-2016~~ 13-7-16

क्रमांक -- सम/2015-2016/ 683

प्रतिलिपि:

- 1 ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति, सै.स.न.
- 2 कार्यालय प्रति।

जिला शिक्षा अधिकारी
 प्रारम्भिक, नागौर